340

5 रु. भारत FIVE RUPEES INDIA Rs.5 | 5 रु. भारत FIVE RUPEES INDIA Rs.5 | 5 रु. भारत FIVE RUPEES INDIA Rs.5

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१ / निगरानी R-408-III-15

एस० के० अवस्थी एड० 24-2-15 को
24-2-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

१- अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र श्री योगेश्वर पाण्डेय,
२- कामता प्रसाद मिश्र पुत्र रामपाल मिश्र,
दोनों निवासीगण ग्राम गढ़, तेहसील ममगवां,
जिला रीवां-मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थीगण

बिरुध्द

१- अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र गोविन्दप्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम गढ़, तेहसील ममगवां, जिला रीवां (मध्यप्रदेश) ।

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुध्द आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय मण्डल गढ़, उप-तेहसील गगेव, तेहसील ममगवां जिला रीवां दिनांक २३-११-१४ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र०२।१४-१५-बक अ-१२ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, राजस्व निरीक्षक महोदय व्दारा वर्तमान प्रकरण में की गई सीमांकन की कार्यवाही एवं पारित विवादित आदेश कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, सर्वे क्रमांक ६६१ एवं ६८४ जिसका सीमांकन किया गया है, के सरहदी सर्वे नम्बर ६५५ एवम् ६५६ के भूमि स्वामी प्रार्थीगण हैं । धारा १२९ के प्रावधानों के अनुसार सीमांकन सरहदी भूमि - स्वामी की उपस्थिति में किया जाना तथा उन्हें सीमांकन के पूर्व

क्रमशः---२

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–रीवा

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–408–तीन / 2015

अनिल कुमार पाण्डेय व अन्य विरूद्ध अरविन्द कुमार पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित । 3. यंह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़, उप तहसील गंगेव, तहसील मझगंवा, जिला– रीवा के प्रकरण क्रमांक 02 / अ–12 / 2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 11.3.19 सदस्य	